संख्या-71/2019/1010/26-3-2019

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 मार्च 2019

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विगत वर्षो हेतु केन्द्रांश की स्वीकृत धनराशि को राज्यांश के रूप में वर्ष 2017-18 की लम्बित देयता व वर्ष 2018-19 की देयता के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4131/स0क0/शिक्षा-अ/2/103/2018-19, दिनांक-06.03.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विगत वर्षो हेतु केन्द्रांश की स्वीकृत धनराशि को राज्यांश के रूप में वर्ष 2017-18 की लम्बित देयता व वर्ष 2018-19 की देयता के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-83 में निदेशालय स्तर पर उपलब्ध धनराशि रू0-36908.74599 लाख को राज्यांश के रूप में परिवर्तित करते हुए धनराशि रू0-17235.10844 लाख को वर्ष 2017-18 की लम्बित देयता के निस्तारण हेतु व धनराशि रू0 19673.63755 लाख को वर्ष 2018-19 की देयता के निस्तारण हेतु व्यय की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि शासनादेश संख्या-163/2018/2474/26-3-2018 दिनांक 25-07-2018 एवं शासनादेश संख्या-208/2018/3384/26-3-2018 दिनांक 10-10-2018 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-71/2019/1010(1)/26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6-राज्य योजना आयोग-1/2
7-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ।
8-गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।